



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232858
CG-DL-E-24012022-232858

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943

No. 24]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

मामला सं.-एडी(ओआई)-15/2021

विषय : चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उसोडी ऑक्सीकोलिक एसिड (यूडीसीए) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/15/2021-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार मै. आर्क फर्मालैब्स लिमिटेड (जिसे यहां आवेदक भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “उसोडी ऑक्सीकेलिक एसिड” जिसे यू डी सी ए के रूप में भी जाना जाता है (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदकों ने चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचारधीन उत्पाद उसोडीऑक्सीकोलिक एसिड है। उसोडीऑक्सीकोलिक एसिड उसोडियोल या यू डी सी ए के रूप में भी ज्ञात है।
4. यू डी सी ए का प्रयोग पित्त पथरी रोग (कोलेलिथियासिस) और पित्त स्लज के लिए चिकित्सा उपचार के रूप में किया जाता है। यह बेरियाट्रिक शल्य चिकित्सा के बाद कोलेलिथियासिस को रोकने के लिए दिया जा सकता है। यू डी सी ए का प्रयोग प्राथमिक बेलिएरी कोलनजाइटिस में उपचार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जहां यह बायोमार्कर्स में सुधार कर सकता है। इसका प्रयोग प्राथमिक स्केलेरोजिंग, गर्भावस्था के इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, बिले रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस आदि के इलाज के लिए भी किया जाता है।
5. इस उत्पाद को टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीकरण जैसे 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उत्पाद प्रमुख रूप से 29181690 और 29181990 के तहत आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जो भारत में पाटित की जा रही है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रही वस्तुओं के समान वस्तु है। आगे यह भी कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही और संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जा रहा और संबद्ध देशों से आयातित यू डी सी ए भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी (पूरे विश्व में कोई अन्य ज्ञात प्रौद्योगिकी नहीं है), कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्रयोक्ता ने दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

7. आवेदन मै. आर्क फर्मालैब्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि इसने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है न ही यह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह भारत में प्रमुख उत्पादक (95 प्रतिशत से अधिक) है। अन्य उत्पादक मै. आई ओ एल केमिकल्स एंड फर्मास्युटिकल्स लिमि. है जिसने पी ओ आई के दौरान घरेलू बाजार में समान उत्पाद का उत्पादन किया है।
8. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उचित जांच के पश्चात, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के संदर्भ में अंतर्निहित प्रावधानों के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदक ऊपर नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

घ. कथित पाटन का आधार**क. सामान्य मूल्य**

9. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है तथा दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। यह बताया गया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा-7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए। पैरा-7 के तहत गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के आधार पर या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को, भारत सहित, कीमत के आधार पर या भारत में अदा की गई या अदायगी योग्य कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किए जाने की जरूरत है।

10. आवेदक ने यूरोपीय संघ से भारत को संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के आधार पर चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि ई.यू. को उचित बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के रूप में लिया जाना चाहिए। विकल्प के तौर पर, आवेदक ने चीन जन.गण. के लिए विधिवत समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन भी उपलब्ध कराया है।
11. कोरिया गणराज्य के लिए, आवेदक ने दावा किया है कि वह कीमत सूचियों, व्यावसायिक/बिक्री इनवॉयसों, व्यापार जर्नल्स आदि, जो कीमत की ओर संकेत कर सकते हैं, के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य को उपलब्ध कराने में असमर्थ था। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित एच एस कोड नहीं है और इसे विभिन्न एच एस कोड के अंतर्गत आयातित और निर्यातित किया जाता है और इन एच एस कोडों के तहत अन्य उत्पादों का भी आयात और निर्यात किया जाता है। सामान्य मूल्य का दावा उचित लाभ के साथ घरेलू उद्योग को उत्पादन के लागत के आधार पर किया गया है।
12. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्थित सीमा शुल्क एच एस कोड नहीं है जिसमें इसका व्यापार किया जाता है और इसलिए, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के प्रथम दृष्टया निर्धारण के प्रयोजन हेतु भारत सहित अन्य देशों को ई.यू. से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत को सुनिश्चित करना कठिन था। प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के प्रयोजन हेतु उत्पादन की लागत और घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर एस जी ए लागतों तथा उचित लाभ के आधार पर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार, चीन जन. गण. के लिए निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया है। कोरिया गणराज्य के संबंध में सामान्य मूल्य को विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन की लागत, और उचित एस जी ए व्ययों और लाभ मार्जिन के संबंध में निर्मित किया गया है। चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के संबंध में दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ख. निर्यात कीमत

13. आवेदक ने द्वितीयक स्रोत डेटा से सीआईएफ मूल्य को अपनाया है, क्योंकि डीजीसीआईएंडएस डेटा डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। चूंकि डीजीसीआईएंडएस डेटा डीजीटीआर को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को भी इस स्तर पर निर्यात मूल्य का पता लगाने के लिए अपनाया गया है।
14. कारखानागत निर्यात कीमत को निर्धारित करने के लिए संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय माल भाड़ा व्ययों, पत्तन व्ययों और बैंक प्रभारों के साथ समायोजित किया गया है। आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ग. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि उल्लेखनीय भी है। इसके पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं।

ड. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

16. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने विपरीत कीमत प्रभाव के रूप में पाटित आयातों के कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध करवाए हैं। विशेष रूप से, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण झेली जा रही कीमत ह्रास और कीमत में कटौती को प्रस्तुत किया है। आवेदक ने दावा किया है कि कम उत्पादन, बिक्रियों और बाजार हिस्से व महत्वपूर्ण हानियों, नकद हानियों और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय के रूप में अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही महत्वपूर्ण क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

च. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और

क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, जो यदि लगाया जाता तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

18. वर्तमान पाटनरोधी जांच में शामिल देश चीन जन.गण और केरिया गणराज्य है।

ज. जांच की अवधि

19. आवेदक ने जांच की अवधि अप्रैल, 2020 से जून, 2021 (15 महीने की अवधि) प्रस्तावित की है। तथापि, प्राधिकारी ने अक्टूबर, 20 से सितंबर, 2021 को पी ओ आई के रूप में विचारित किया है। इसलिए जांच की अवधि अक्टूबर, 2020 से सितंबर, 2021 है। क्षित जांच अवधि में 2018-19, 2019-20, 2020-21 और पीओआई तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

ञ. सूचना को प्रस्तुत करना

21. कोविड महामारी से उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों को मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd13-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in. को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एम एस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सेल फॉर्मेट में हो।
22. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 18 में उल्लिखित ई मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर ईमेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि उक्त नियमावली के स्पष्टीकरण की शर्त में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाला नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जिसको यह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देशों से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया था। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिसों के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
30. “गोपनीय” या “अगोपनीय” अनुरोध पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को शामिल करने वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को “इलेक्ट्रॉनिक मोड में” अनुरक्षित करने के तरीकों को तैयार किया जा रहा है।

ढ. असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2022

Case No. AD-OI 15/2021

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Ursodeoxycholic Acid (UDCA)” originating in or exported from China PR and Korea RP.

F. No. 6/15/2021-DGTR.—1. M/s Arch Pharmalabs Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of “Ursodeoxycholic Acid also known as UDCA (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as ‘subject countries’).

2. The Applicant has claimed that the injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports from China PR and Korea RP and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Korea RP.

A. Product under consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is Ursodeoxycholic Acid. Ursodeoxycholic Acid is also known as Ursodiol or UDCA.
4. UDCA is used as medical therapy in gallstone disease (cholelithiasis) and for biliary sludge. It may be given after bariatric surgery to prevent cholelithiasis. UDCA is also used as a therapy in primary biliary cholangitis where it can produce an improvement in biomarkers. It is also used to treat primary sclerosing cholangitis, Intrahepatic cholestasis of pregnancy, bile reflux gastritis, etc.
5. The product is classified under the Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under various subheadings of the tariff custom classification such as 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

B. Like Article

6. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. It has been further stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the domestic industry and those exported from subject countries. The applicant has claimed that UDCA produced by the domestic industry and imported from subject countries is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology (there is no other known technology for production world over), functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the Applicant are being treated as “like article” of the subject goods imported from the subject countries.

C. Domestic Industry & Standing

7. The application has been filed by M/s Arch Pharmalabs Limited. The applicant has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or any importer in India. The Applicant has also claimed that it is the major producer (more than 95%) in India. Another producer is M/s IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd who has produced like product in the domestic market during the POI.

8. On the basis of the information available, the Authority notes that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

D. Basis of Alleged Dumping

a. Normal Value

9. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 of Annexure- I. Under Para 7, normal value for non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of subject goods in the market economy third country or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis including price paid or payable in India.
10. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of the export price of subject goods from European Union to India. They have proposed that EU be taken as appropriate market economy third country. Alternatively, the applicant has also provided calculations of normal value on the basis of cost of production, duly adjusted for China PR.
11. For Korea RP, the Applicant has claimed that it was unable to provide normal value of the subject goods on the basis of price lists, commercial/sales invoices, trade journals etc which can indicate prices. Further, the product under consideration does not have dedicated HS code and is imported and exported under various HS codes and under these HS codes other products are also imported and exported. Normal value has been claimed on the basis of the cost of production of the domestic industry with reasonable profit.
12. It is noted that the product under consideration does not have dedicated custom HS code in which it is traded, and therefore it was difficult to ascertain the export price of subject goods from EU to other countries including India for the purpose of prima facie determination of normal value for China PR. The Authority has, for the purpose of initiation, considered the constructed the normal value for China PR as provided by the applicant based on cost of production and SGA costs on the basis of experience of the domestic industry, and a reasonable profit. With regard to Korea RP, normal value has been constructed having regard to cost of production in India, duly adjusted, and with reasonable SGA expense, and profit margin. There is sufficient evidence of normal values claimed with respect to China PR and Korea RP.

b. Export Price

13. The Applicant has adopted the CIF price from secondary source data, as DGCI&S data was not made available by DGCI&S. Since the DGCI&S data has not been made available to the DGTR, also the information provided by the applicant has therefore, been adopted for ascertaining export price at this stage.
14. To determine the Ex-factory export price, the export price for the subject countries has been adjusted with ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the Applicant.

c. Dumping Margin

15. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is not only above the de-minimis level but also significant. There is sufficient prima facie evidence that the subject goods from subject countries are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

E. Evidence of injury and causal link

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury resulting from the alleged dumping of dumped imports in the form of adverse price effect. In particular, the applicant has cited price depression, and price suppression suffered by them on account of dumped imports of subject

goods from subject countries. The applicant has claimed that its performance has been severely impacted in form of low production, sales and market share, and significant losses, cash losses and negative return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

F. Initiation of Anti-Dumping Investigation

17. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. Subject Countries

18. The subject countries for this investigation are China PR and Korea RP.

H. Period of Investigation (POI)

19. The applicant has proposed period of investigation as April 2020 to June 2021 (period of 15 months) in the application. However, the Authority has considered POI as October 20 to September 2021. Therefore, the period of investigation (POI) for the present investigation is October 2020 to September 2021. The injury investigation period will cover the periods, 2018-19, 2019-20, 2020-21 and POI and the period of investigation.

I. Procedure

20. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of information

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd13-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in and a copy to adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
22. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 18 above.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. Time Limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation to the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
30. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

36. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority